

29.04.2020

सभी क्षे.का. प्रमुखों को संदेश

प्रेषक : मु.म.प्र, प्रशासन, एमएमटीसी, का.का.

सेवा में क्षे.का. : कोलकत्ता, भुवनेश्वर, मुंबई, वैजाग, हैदराबाद, चेन्नै, दि.क्षे.का.

सेवा में : उ.क्षे.का. : अहमदाबाद, जयपुर

प्रति : खुशिन्दर नाथ, म.प्र., सिस्टम, का.का.

प्रति : मु.म.प्र, वित्त, का.का.

विषय : कोविड - 19 के खतरों के मद्देनज़र लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए चिकित्सा कार्ड का नवीनीकरण और अंशदान का स्वीकार 31 मार्च 2020 के बाद भी किये जाने के संबंध में - सेवानिवृत्त कर्मचारियों के संबंध में : परिपत्र सं. 2

पूर्व परिपत्र, दिनांक 06.04.20 के क्रम में, सक्षम प्राधिकारी ने तत्काल प्रभाव से निम्न का अनुमोदन प्रदान किया है :

1. सेवानिवृत्त कर्मचारियों के चिकित्सा कार्डों की वैधता/ अंशदान की प्राप्ति का तारीख पूर्वनिर्धारित ई-भुगतान सुविधाओं के साथ 31 मई 20 तक बढ़ा दिया गया है।
2. मूल प्रति की जगह जीवित प्रमाणपत्र का हस्ताक्षरित स्कैन्ड प्रति ई-मेल से अपने चिकित्सा प्रभागों को अप्रैल 20 के प्रभाव से जून 20 तक या कूरियर/डाक सेवा बहाल होने तक भेजें।
3. खराब स्वास्थ्य के मामले में जीवित प्रमाणपत्र पर पति या पत्नी/spouse जो भी हों के द्वारा हस्ताक्षर किया जा सकता है।
4. देय अवधि के लिए ओपीडी चिकित्सा खर्च की प्रतिपूर्ति अप्रैल 20 के प्रभाव से जीवित प्रमाणपत्र प्राप्त होने के बाद जून 20 से शुरू होगा।
5. म.प्र., सिस्टम, अनुरोध है कि मेल की पठनीय प्रति का यह परिपत्र एमएमटीसी वेबसाइट के सूचना/आयोजन भाग के अंतर्गत प्रदर्शित करें।
6. सभी अन्य निर्देश/दिशा-निर्देश पूर्व परिपत्र 06.04.20 के अनुसार हैं।

सादर,

अरूण डी'रोजरियो

मुमप्र, प्रशासन,

का.का.

घर पर रहे और सुरक्षित रहें

हमलोग मिलकर कोविड—19 से लड़ सकते हैं।